कार्यालय जिला कलक्टर ,कोटा

प्रारूप "ख"
{देखिये नियम 9(3), (4)और (6)}

क्रमांक प.2ग(4)राजस्व–I / 12 / 6935

दिनांक 5-10-2013

संपरिवर्तन–आदेश

प्रार्थी **मै0 एलबर्ट आईन्सटाईन सोसायटी** कोटा जर्ये सचिव,श्री अशोक गोकलानी पुत्र श्री ओ0डी0गोकलानी निवासी गुमानपुरा कोटा राज0 की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिऐ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 (जी)(II) के अन्तर्गत एवं नियम 2 अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये निम्न शर्तो पर संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नींचे दी गई है :–

क्रस	विवरण बिन्दु	सूचना
1	आवेदक खातेदार का नाम पिता / पति का नाम	मै0 एलबर्ट आईन्सटाईन सोसायटी कोटा जर्ये सचिव, श्री अशोक गोकलानी पुत्र श्री ओ0डी0गोकलानी निवासी गुमानपुरा कोटा (राजस्थान)
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति / अनु0 जन जाति का सदस्य है ।	नहीं संस्था है
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा :– (क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम	ग्राम भगवानपुरा ग्राम पंचायत गदीफली तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राजस्थान)
	(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल (है0)	ख0न0 161 रकबा 0.30 है0
	(ग) प्रत्येक खसरा सं0 के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हुऐ संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है0 एवं व0मी0 में)।	ख0न0 161 रकबा 0.30 है0 (3000 वर्ग मीटर)
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थागत प्रयोजनार्थ
5	सदेय प्रिमियम की दर	5.00 रू प्रति वर्ग मीटर या डी0चएल0सी0 का 5.00 प्रतिशत जो भी अधिक हो दर से राशि रु0 56790 / –
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम	चालान नं0 663 दिनांक 14–12–2012 राशि 15000.00 एवं चालन नं0 438045 दिनांक 17.09.2013 राशि 41790.00 कुल राशि 56790 / – राजकोष में जमा
7	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो ।	नही
8	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज राशि यदि कोई हो कि जमा कराई गई हो।	निल
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 अधीन जारी किया गया है।	हॉ
10	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो ।	निम्नानुसार

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगा :–

1– उपर्युक्त संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा ।

2– उपर्युक्त संपरिवर्तित भूमि का हस्तान्तरण विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य को नही किया जासकेगा।

3– भूमि का संपरिवर्तन जिस हेतु किया गया है, उसका उपयोग 5 वर्ष की कालावधि में करने में प्रार्थी के असफल रहने पर यह संपरिवर्तन आदेश निरस्तनीय होगा तथा जमा संपरिवर्तन शुल्क राशि प्रत्याहृत करली जायेगी।

2.............

4- भूमि का संपरिवर्तन संस्थागत प्रयोजनार्थ किया गया है अतः निर्माण करते समय नियमानुसार 40 प्रतिशत भू-भाग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ सडक,खैल मेदान ,पार्क आदि के लिए ऑपन छोडना होगा जो राज्य सरकार को समर्पित करना होगा।

5-- विकास कर्ता को अपने प्रोजेक्ट के बाहर सम्पर्क सड़क तथा अन्दर की सडके स्वयं बनानी होगी तथा बिजली,पानी की अन्य आधारभूत सुविधाये स्वयं विकसित करनी होगी।

6-- आवेदक द्वारा 30 फुटचोडा पहुच मार्ग स्वय द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।

7- भवन का निर्माण इंडियन रोड कांग्रेस के नियमो के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मेजर डिस्ट्रीक्ट रोड, अन्य जिला स्तरीय सडक तथा ग्रामीण सडक जो भी सम्परिवर्तित भूमि के परिपेक्ष्य में लागू हो ,के मध्य से निर्धारित दूरी छोडकर करना अनिवार्य होगा। यदि प्रार्थी इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंडो में वर्णित सडक मार्ग से प्रस्तावित स्थल तक जाने के लिए रास्ता चाहते है तो उन्हे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण से अनुमति लेनी होगी और यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सडक मार्ग से प्रस्तावित स्थल तक जाने के लिए रास्ता चाहते है तो सा0नि0वि0 से अनुमति लेनी होगी।

8-- संपरिवर्तित प्रयोजनार्थ निर्माण पर सम्बंधित निकटस्थ ग्राम पंचायत/नगर पालिका/स्थानीय निकाय विभाग की उप विधियों मे निर्धारित मापदण्डो के अनुसार अनुमति प्राप्त कर निर्माण करना होगा ।

8- इस आदेश के संदर्भ में भविष्य में किसी आडिट पेरा या अन्य प्रकार की राजकीय बकाया निकलती है तो आवेदक जमाकराने के लिए बाध्य रहेगा।

12-- माननीय उच्च न्यायालय राज0 के एस0बी0 सिविल रिट पिटिशन सं0 11153/2011 के निर्णय अनुसार किसी भी वाटर चैनल के जल के बहाव को अवरुद्व नही किया जायेगा।

13- संपरिवर्तन आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संपरिवर्तन आदेश स्वतः निरस्त हो जावेगा एवं जमा सम्परिवर्तन शुल्क सम्पृहत माना जावेगा।

जिला कलक्टर
कोटा

क्रमांक प.2ग(4)राजस्व-II/12/ 65355-40 दिनांक 4-00-2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1- उपखण्ड अधिकारी, कोटा ।
2- तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा को प्रेषित कर लेख है कि शर्तो की पालना सुनिश्चित करने पर आदेश का अंकन राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार करें ।
3- अधिशाषी अभियंता,सा0नि0विभाग जिला खण्ड कोटा ।
4- सरपंच ग्राम पंचायत गंदीफली पं0स0 लाडपुरा जिला कोटा ।
5- मै0 एलबर्ट आईन्सटाईन सोसायटी कोटा जर्ये सचिव, श्री अशोक गोकलानी पुत्र श्री ओ0डी0गोकलानी निवासी कुमानपुरा कोटा (राजस्थान) को सूचनार्थ।
6- निजी सहायक, जिला कलक्टर, कोटा ।
7- जिला राजस्व लेखा अनुभाग /रक्षित पत्रावली ।

जिला कलक्टर
कोटा

93
22/4/16

प्रमाण पत्र

(अ) यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी श्री उमाशिव मेमोरियल कालेज ऑफ एज्यूकेशन एलबर्ट आईस्टीन सोसाइटी 13 सहयोगत योजना मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के सामने बसन्त विहार कोटा (राज०) जर्ये सचिव ~~पुत्र श्री~~ अशोक कुमार गोकलानी पुत्र ओमनदास गोकलानी जाति सिन्धी सा० मोदी हाऊस के पीछे न्यू कालोनी कोटा
खसरा नं. 161 0.30 हे० खाता नं. 5 ग्राम भगवानपुरा
की भूमि का खातेदार/~~काश्तकार/मालिक/खुद काश्त/काश्तकार~~ है ~~और उक्त प्रार्थी अतिक्रमी नहीं है।~~

(ब) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रार्थना पत्र के साथ दिया गया प्रार्थी की भूमि का नक्शा सही है और इस पर मैनें हस्ताक्षर कर दिये हैं। भूमि का कुल रकबा 0.30 हे०
बीघा अथवा .... एकड़ है।

(स) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि भू०राजस्व से भार मुक्त है ~~और इस पर उपरोक्त प्रार्थी श्री .... के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का हित स्वामित्व व अधिकार नहीं है।~~

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी पर किसी प्रकार का ~~सरकारी कर~~ भू० राजस्व बकाया नहीं है।

(ड) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त श्री ....
स्वयं ही उपरोक्त भूमि की काश्त करता है। भूमि का वर्गीकरण इस प्रकार है-

~~बंजड़~~ चाही द्वितीय 0.30 हे० ~~बीघा/एकड़~~		बारानी अव्वल	बीघा/एकड़
बारानी दोयम	बीघा/एकड़	बारानी दोयम	बीघा/एकड़
चाही अव्वल	बीघा/एकड़	चाही दोयम	बीघा/एकड़
चाही दोयम	बीघा/एकड़	नहरी	बीघा/एकड़

तालाब इत्यादि तथा अन्य जरियों से सिंचित .... बीघा/एकड़ है।

महोदय,
उपरोक्त खातेदार पर कोई भू० राजस्व बकाया नहीं है तथा वर्तमान मे उक्त भूमि पर कालेज भवन निर्मित है।

दिनांक ....

[signature]
21/4/2016
पट० ह० मन्दीकली

[signature]
तहसीलदार लाडपुरा
हस्ताक्षर तहसीलदार
जिला कोटा

जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :-	भगवानपुरा	पटवार हल्का	गन्दीफली	भू.अभि.नि.क्षेत्र	कैथून
तहसील :-	लाडपुरा	जिला :-	कोटा	दिनांक :-	21/04/2016
सम्वत :-	2073 - 2076	वास्तविक सम्वत :-	2073		
क्षेत्रफल :-	हैक्टेयर				

खेवट(खतोनी)		भूमि धारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	सिंचाई के साधन	लगान		नामान्तरण आदेश नं. तथा तारीख	भूमि ब्यौरा विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अन्तरित हो	टिप्पणी
नया	पुराना							दर	रकम			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	राज. सरकार	उमाशिवमेमोरियल कोलेज आफ एज्यूकेशन एलबर्ट आईस्टीन सोसायटी 13 संस्थागत योजना मेजर ध्यान चन्द स्टेडियम के सामने बसन्त बिहार कोटा राज. जर्ये सचिव अशोक कुमार गोकलानी पुत्र ओटनदास गोकलानी जाति सिन्धी सा. मोदी हाउस के पीछे न्यू कोलोनी कोटा	161	0.3000	चाही द्वितीय	0.3000 चाह.न.162	32	9.60			

कुल : कुल खसरा :1 कुल क्षेत्रफल : 0.3000 भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल 9.60

चाही द्वितीय 0.3000 9.60

579

प्रतिलिपि शुल्क: 10/-

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रतिलिपि में दिनांक तक के समस्त परिवर्तन समाविष्ट कर दिये गये हैं।

प्रतिलिपि क्रमांक:- 26011024-1305

प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक- 21/04/2016

अपना खाता केन्द्र से जारी एवं सत्यापित प्रति

सत्य प्रतिलिपि

प्रभारी, अपना खाता केन्द्र, आर. सी. पटवारी

तहसील लाडपुरा

तहसील लाडपुरा

आज दिनांक 15 माह May सन् 2012 को 12:45 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री BRIJMOHAN पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAXMINARAYAN
उम्र 41 वर्ष, जाति DHAKAD व्यवसाय FARMER
निवासी GRAM BHAGWANPURA TEH LADPURA KOTA
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

बृजमोहन

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, KOTA
ध्2012004543ध्
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

रसीद नं0 2012004333 दिनांक 15/05/2012
पंजीयन शुल्क रू0 5680/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 2840/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 3400/-
कुल योग रू0 12220/-

ध्2012004543ध् उप पंजीयक, KOTA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

हस्ताक्षर | फोटो | अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-BRIJMOHAN/LAXMINARAYAN
Age:41, Caste-DHAKAD
Ocu.-FARMER
R/O-GRAM BHAGWANPURA TEH LADPURA KOTA

2-LAXMINARAYAN/DEVA JI
Age:71, Caste-DHAKAD
Ocu.-FARMER
R/O-GRAM BHAGWANPURA TEH LADPURA KOTA

(And Claimant)
1-UMASHIV MEMO. COLLEGE OF EDU. TH SEC.
ASHOK KUMAR GOKLANI/OTAN DAS GOKLANI
Age:56, Caste-SINDHI
Ocu.-BUSINESS
R/O-13 ALBERT EINSTEIN SOCIETY BASANT
VIHAR KOTA BEHIND MODI HOUSE, NEW COLONY GUMANPURA KOTA

ने लेख्यपत्र SALE DEED (CONVEYANCE DEED)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 568000/– पूर्व में/मेरे
समक्ष/मे सें रू0 568000/–पूर्व में ————————
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सुश्री KAILASH KUMAR
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMCHANDRA JI उम्र 42 वर्ष
जाति SINDHI व्यवसाय BUSINESS
निवासी B-72 ALFA COMPLEX BAJRANG NAGAR KOTA

2. श्री/श्रीमती/सुश्री SUNIL AMBWANI
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री GANESHLAL उम्र 40 वर्ष
जाति SINDHI व्यवसाय BUSINESS
निवासी 135 SHOPPING CENTRE KOTA ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

घ2012004543घ उप पंजीयक, KOTA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

धारा 54 के तहत प्रमाण--पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 568000
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 3400 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 5680 कुल रूपये 12220
ज़रिये रसीद संख्या 2012004333 दिनांक 15/05/2012
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 28400
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2012004543) उप पंजीयक, KOTA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

आज दिनांक 15/05/2012 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1121
में पृष्ठ संख्या 103 क्र संख्या 2012002798 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2785
के पृष्ठ संख्या 23 से 37 पर
चस्पा किया गया।

(2012004543) उप पंजीयक, KOTA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

धारा 54 के तहत प्रमाण--पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 568000
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 3400 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 5680 कुल रूपये 12220
ज़रिये रसीद संख्या 2012004333 दिनांक 15/05/2012
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 28400
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

ę2012004543ę उप पंजीयक, KOTA
ęSALE DEED (CONVEYANCE DEED)ę

आज दिनांक 15/05/2012 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1121
में पृष्ठ संख्या 103 क्र संख्या 2012002798 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2795
के पृष्ठ संख्या 23 से 37 पर
चस्पा किया गया।

ę2012004543ę उप पंजीयक, KOTA
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

मुद्रांक विक्रेता-विष्णु कुमार विजय अनुज्ञा पत्र सं. 4/09

रजि क्रमांक 177 15-05-12 मुद्रांक वेल्यू 25,000/- (25,000/1)

उमाशिव मेमोरियल कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, एलबर्ट आइंस्टाइन सोसायटी, बसंत विहार, कोटा

जर्थे सचिव अशोक कुमार गोकलानी

विक्रय - पत्र

स्वयं

क्रेता/हस्ताक्षर

मुद्रांक विक्रेता के हस्ता॰

कोषाधिकारी

09 MAY 2012

कोटा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 2500[0]
पच्चीस हजार

Rs. 25000
TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते
INDIA

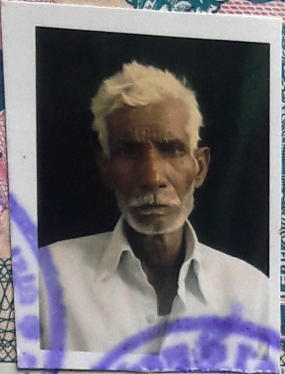

RAJASTHAN

::–श्री राम जी–::

::–विक्रय–पत्र–::

हम कि :– बृज मोहन उम्र 41 साल आत्मज श्री लक्ष्मी नारायण जाति धाकड़ व लक्ष्मी नारायण उम्र 71 साल आत्मज श्री देवा जाति धाकड़ निवासीगण ग्राम भगवानपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राजस्थान) के हैं।

जो कि हमारी स्वयं की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खेवट खतोनी संख्या–नया–47 पुराना–42 की खसरा संख्या–161 रकबा 0.30 हेक्टर वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार क्षेत्र गन्दीफली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राजस्थान) मे स्थित है। इस आराजी के हम संयुक्त रूप से खातेदार व काबिज हैं। जिसको रहन, बैय, हिब्बा व वसीयत आदि करने का हमको पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

––हस्ताक्षर विक्रेतागण–– ––हस्ताक्षर क्रेता––

उप पंजीयक प्रथम
कोटा (राज.)

यह कि हमको रूपयों की आवश्यकता होने के कारण हमने अपनी उक्त **आराजी खेवट खतोनी संख्या–नया–47 पुराना–42 की खसरा संख्या–161 रकबा 0.30 हेक्टर** वाके ग्राम भगवानपुरा पटवार क्षेत्र गन्दीफली भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र केथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राजस्थान) को **बदस्त उमाशिव मेमोरियल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, एलबर्ट आइंस्टाइन सोसायटी, 13, संस्थागत योजना, मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम के सामने, बसंत विहार, कोटा (राजस्थान) जर्ये सचिव श्री अशोक कुमार गोकलानी उम्र 56 साल आत्मज श्री ओटन दास गोकलानी जाति सिन्धी निवासी मोदी हाउस के पीछे, न्यू कॉलोनी, कोटा (राजस्थान)** के पक्ष मे बकीमत **मुबलिग 5,68,000/–रूपया अक्षरे पांच लाख अड़सट हजार रूपया मात्र** मे बेचान यानी फरोख्त करदी है। एवम् बेचान के पेटे 2,00,000/–रूपया अक्षरे दो लाख रूपया नगद व 3,68,000/–रूपया अक्षरे तीन लाख अड़सट हजार रूपया चेक नं0–379459 दिनांक–15–05–2012 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, कोटा द्वारा क्रेता से प्राप्त करली है। इस प्रकार सम्पूर्ण प्रतिफल राशि **5,68,000/–रूपया अक्षरे पांच लाख अड़सट हजार रूपया** क्रेता से प्राप्त करली है। ओर कब्जा मालिकाना बेची गई आराजी पर क्रेता को वास्तविक रूप से मोके पर सम्भला दिया है।

––हस्ताक्षर विक्रेतागण–– *––हस्ताक्षर क्रेता––*

उप पंजीयक प्रथम
कोटा (राज.)

––3––

यह कि आज तक इस बेची गई आराजी बाबत जो कुछ हक, हकूक, मालिकाना, हक काश्त, हक रास्ता हक आबपाशी आदि हमको प्राप्त थे वह समस्त हकूक आज ही क्रेता की जात पर मुन्तकिल कर दिये हैं। अब इस बेची गई आराजी से हमारा व हमारे किसी भी वारिस का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही रहा है। अब यदि इस बेची गई आराजी बाबत हमारा कोई भी वारिस या अन्य व्यक्ति अपना हक व उज्र बतलाकर क्रेता से दावा झगड़ा आदि करेगा तो उसकी समस्त जवाबदेही व हर किस्मी खर्चे का भार हमारी जात व जायदाद के जिम्मे होगा। यदि हमारे स्वामित्व की कमी के कारण यह बेची गई आराजी क्रेता के कब्जे मालिकाना से निकल जावे तो उसकी समस्त जरे, बेय, मय हर्जा खर्चा तावान आदि लोटाने की जिम्मेदारी हमारी जात व जायदाद के जिम्मे होगी।

यह कि यह बेची गई आराजी आज से पूर्व किसी भी दिगर जगह पर रहन, बैय, हिब्बा व वसीयत आदि की हुई नहीं है। न इस आराजी पर किसी बैंक या अन्य संस्था का कोई ऋण बकाया हैं। इस आराजी बाबत किसी न्यायालय में कोई केस जेरकार नहीं है। न कोई स्थायी निषेधाज्ञा अथवा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी हो रही है। यानी यह आराजी हर प्रकार के भार से मुक्त है।

––*हस्ताक्षर विक्रेतागण*–– ––*हस्ताक्षर क्रेता*––

उप पंजीयक प्रथम
कोटा (राज.)

––*4*––

यह कि इस आराजी को क्रेता इस विक्रय पत्र द्वारा राजस्व रेकार्ड मे अपने नाम पर खाते दर्ज करा लेवे। इसमे हमको कोई एतराज किसी किस्म का नहीं होगा। यदि हमारे सहयोग की आवश्यकता हुई तो हम स्वयं उपलब्ध होने हेतु पाबन्द रहेंगे। इस आराजी का आज तक का कड़ता लगान, सरचार्ज पिलाई आदि हमने जमा करा दिया है। यदि आज तक की कोई भी राशी बकाया निकली तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी हमारी होगी। आज के बाद भविष्य मे क्रेता स्वयं जमा कराते रहा करेंगे।

यह कि यह आराजी मुख्य सड़क पर न होकर मुख्य सड़क से करीबन एक किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर स्थित हैं। इसमें कोई बोरिंग नहीं हो रहा है। न कोई निर्माण कार्य हो रहा है। इस आराजी से सम्बन्धित समस्त असल कागजात जमाबन्दी आदि क्रेता को सम्भला दिये हैं।

लिहाजा यह विक्रय पत्र हमने बहौश हवास स्वस्थ चित्त बिना नशे व दबाव के तहरीर कर दिया, जो सनद रहै, समय पर काम आवे। खर्चा रजिस्ट्री स्टाम्प फीस आदि का तमाम क्रेता ने ही वहन किया है।

यह विक्रय पत्र स्टाम्प कीमती 25,000/–रूपया का एक व तीन सादा कागज कुल किता 4 कीमती 25,000/–रूपया पर तहरीर हैं। तहरीर तारीख दस्तावेज :–15–05–2012

गवाह–1– *––हस्ताक्षर विक्रेतागण––*

गवाह–2– *––हस्ताक्षर क्रेता––*

उप पंजीयक प्रथम
कोटा (राज.)